जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/palm/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 5 अप्रैल 2021

आबकारी विभाग कर रहा मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़!!!

पुरानी चुंगी,अजमेर रोड पर स्थित अहमद शाह बाबा की दरगाह से 200 मीटर के अंदर खोली शराब की दूकान!!! "त्यागी वाइन्स"

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

लाईसेंसी मीनू त्यागी ने खोली दुकान न. 5 अजमेर रोड पर अंग्रेजी और देसी की दूकान

पुरानी चुंगी,अजमेर रोड पर स्थित अहमद शाह बाबा की दरगाह

आपको बता दे कि इस बार आबकारी विभाग द्वारा अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया है जिसके चलते अब अंग्रेजी और देसी शराब एक ही दूकान पर ग्राहकों को मिलेगी|आबकारी विभाग द्वारा इस बार शराब की दुकानों की लोटरी निकालने की जगह नीलामी की गयी थी|इसके चलते जहाँ पूर्व में अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए शहर की प्राईम लोकेशन पर दूकान देखनी पड़ती थी वही देसी के लिए कच्ची बस्तियों में/सुनसान जगहों पर दुकाने खोली जाती थी|वर्तमान में दोनों दुकाने एक होने से शहर में 300 से अधिक शराब की दुकाने प्राईम लोकेशन पर आ गयी है|जिसके चलते नयी लोकेशनों के लिए मारामारी मची हुई है और शराब ठेकेदार अधिकारीयों के साथ सांठ-गाँठ कर हर मुमकिन जगह पर दूकान खोलने की कोशिश कर रहे है भले ही इसके लिए आबकारी नियम 75 का उल्लंघन ही क्यों ना किया जा रहा हो|ऐसी ही एक दूकान लाईसेंसी मीनू त्यागी ने अजमेर रोड पुरानी चुंगी के पास दुकान न. 5 में खोली है|गौरतलब है कि इस दूकान से 200 मीटर के अंदर गंगा-जमुनी तहजीब पर बनी प्रसिद्द अहमद शाह बाबा की दरगाह स्थित है जहाँ पर मुस्लिमों के साथ साथ हर धर्म का व्यक्ति आते-जाते अपना शीश नवाजता है|यही नहीं यहाँ पर पांचो वक्त की नमाज भी पढ़ी जाती है और जुम्मे के दिन बड़ी संख्या में नमाज पढने यहाँ पर आते है|

राजस्व कमाने के फेर में आबकारी विभाग कर रहा नियमों की अनदेखी

आबकारी नियम के नियम 75 के अनुसार किसी भी धार्मिक संस्थान,स्कूल महाविद्यालय के 200 मीटर के अंदर शराब की दूकान लगाने पर पाबन्दी है लेकिन इसके बावजूद लाईसेंसी मीनू त्यागी द्वारा आबकारी निरीक्षक श्रीमती भानुप्रिया और अन्य जिम्मेदार अधिकारीयों से सांठ गाँठ कर जयपुर की प्रसिद्द अहमद शाह बाबा की दरगाह से कुछ क़दमों की दुरी पर स्थित इस शराब की दूकान की लोकेशन पास करवाली गयी है|

4 साल पहले इसी दुकान की लोकेशन तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर श्री राजेश वर्मा ने की थी निरस्त

आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले भी इसी दूकान में शराब की दूकान लगाने का प्रयास किया गया था लेकिन मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने से बचाने के लिए तत्कालीन आबकारी निरीक्षक श्री महेन्द्र गुप्ता और जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश वर्मा द्वारा सुझबुझ से काम करते हुए,इस शराब की दूकान की लोकेशन पास नहीं की गयी थी|

मुस्लिम समुदाय में आक्रोश

इस दूकान के खुलने से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरा आक्रोश है और उनके द्वारा जन आन्दोलन करने की तैयारियां की जा रही है|यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब शहर के हर मंदिर मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थानों के पास शराब की दुकाने सज जाएगी|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com